ऑन लाईन नं. RCMS 2021/162

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : भवानी सिंह पंवार आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 35 / 2021

1. श्रीमती रामदेवी पत्नी श्री भानूराम जाति बांवरी निवासी वार्ड नम्बर 05, आनन्द नगर श्री विजयनगर जिला श्रीगंगानगर।

अपीलार्थिया

बनाम

1. बाल विकास परियोजना अधिकारी अनुपगढ।
2. उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रीगंगानगर

अप्रार्थीगण

उपस्थित :
1. अमित स्वामी अधिवक्ता अपीलार्थी
2. विभागीय प्रतिनिधि।

आदेश   दिनांक : 27.10.2021

अपीलार्थीया द्वारा प्रस्तुत अपील मीमो के सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीया ने आंगनबाडी केन्द्र वार्ड नम्बर 05 श्रीविजयनगर में कार्यकर्ता के पद हेतु आवेदन किया था परन्तु वार्ड नम्बर 05 की वर्षा जो सहायिका पद पर वार्ड नम्बर 05 के आंगनबाड़ी में कार्यरत है को लाभ पहुंचाने की मंशा से प्रार्थीया के आवेदन–पत्र पर कोई विचार नहीं किया गया और प्रार्थीया का चयन नहीं करने की नियत से बाल विकास परियोजना अधिकारी अनूपगढ ने उप निदेशक समेकित बाल विकास सेवाए श्रीगंगानगर के पत्र क्रमांकः–आ.बा./स्था./2021/1159 दिनांक 19.08.2021 को विज्ञप्ति संख्या 03 की पालना में प्रार्थीया द्वारा आवेदन किया गया था। बाल विकास परियोजना अधिकारी अनूपगढ के द्वारा मेरे आवेदन को उप निदेशक समेकित बाल विकास सेवाएं श्रीगंगानगर को नहीं भेजे गये जिस कारण से विज्ञप्ति संख्या 3 दिनांक 09.09.2021 के आदेश की पालना में निरस्त की जा रही है। शहरी चयन समिति अनूपगढ द्वारा प्रार्थीया के आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया गया। प्रार्थीया को सुनवाई का अवसर दिये बिना द्वेषभाव से विधि विरूद्व, नियमों विरूद्व तथा प्रार्थीया के दस्तावेजों को दरकिनार करते हुए प्रार्थीया का चयन नहीं किया गया जबकि प्रार्थीया का चयन होना था परन्तु सहायिका वर्षा को लाभ पहुंचाने की नियत से बाल विकास परियोजना अधिकारी अनूपगढ ने आज तक आवेदन पत्र उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीगंगानगर के समक्ष नहीं भेजे गये है ऐसा पहली बार नहीं हुआ है इससे पूर्व भी विज्ञप्ति संख्या 02/2021 को भी निरस्त किया गया था। प्रार्थीया के अंक सबसे अधिक थे इसके बावजूद भी प्रार्थीया का चयन नहीं किया गया इससे स्पष्ट होता है कि शहरी चयन समिति द्वारा वार्ड नम्बर 05 में कार्यकर्ता का पद खाली रखना इनकी मंशा है ताकि बाद में अपने किसी चहेते को उसमें चयनित कर सकें। प्रार्थीया अनुसूचित जाति की महिला है तथा कक्षा एम.ए. , बी.एड तक पढ़ी लिखी है तथा प्रार्थीया गरीबी रेखा से निचे जीवन यापन कर रही है तथा बीपीएल है। लिहाजा अपील विरूद्व शहरी चयन समिति बैठक कार्यवाही को निरस्त कर प्रार्थीया का चयन किया जाना सुनिश्चित कर प्रार्थीया को न्याय प्रदान करने की कृपा करें।

रेस्पोडेन्ट उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास, श्रीगंगानगर ने अपना जबाब पत्र कमांक 2009 दिनांक 05.10.2021 से प्रस्तुत कर अंकित किया कि आंगनबाडी केन्द्र वार्ड नम्बर 05 श्रीविजयनगर में आंगनबाड़ी सहायिका श्रीमती वर्षा कार्यरत है। इस कार्यालय के विज्ञप्ति कमांक 651 दिनांक 05.07.2021 के द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्र वार्ड नम्बर 05 श्रीविजयनगर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की विज्ञप्ति जारी की गई थी। शिकायतकर्ता के द्वारा आरक्षित वर्ग की शिकायत करने पर इस कार्यालय के पत्रांक 909 दिनांक 23.07.2021 के द्वारा उक्त विज्ञप्ति निरस्त कर जांच हेतु निर्देश दे दिये गये थे। बाल विकास परियोजना अधिकारी अनूपगढ की जांच टीम के अनुसार आरक्षित वर्ग अनुसूचित जाति का ही आरक्षित हुआ। अपीलकर्ता श्रीमती रामदेवी वार्ड नम्बर 05 के द्वारा पुनः प्रार्थना पत्र देकर अवगत करवाया गया कि यह जानबूझ कर विज्ञप्ति निरस्त करवाई गई है ताकि किसी व्यक्तिगत महिला को लाभ दिया जा सकें। साथ ही निवेदन किया गया कि उक्त विज्ञप्ति पुनः प्रकाशित की जावें। अतः कोई पात्र आवेदन उक्त भर्ती हेतु वंचित नहीं रहे। इस कारण पुनः इस कार्यालय के पत्रांक 1159 दिनांक 19.08.2021 के द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई और अन्तिम तिथि 03 सितम्बर 2021 रखी गई। बाल विकास परियोजना अधिकारी अनूपगढ के अनुसार उक्त अन्तिम तिथि तक 03 आवेदन प्राप्त हुए। उक्त वरियता सूची अनुसार श्रीमती रामदेवी पत्नी भानूराम निवासी वार्ड नम्बर 05 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कमांक 120363–800 दिनांक 09.09.2021 के द्वारा जिला स्तर से जारी की गई विज्ञप्ति से सम्बन्धित पदों जिसमें ग्राम सभा/गठित समिति स्तर पर चयन कार्यवाही पूण्र नहीं की गई है को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाकर पुनः नवीन परिपत्र दिनांक 19.08.2021 के अनुसार चयन के निर्देश दिए गए है। निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं जयपुर के आदेश कमांक 120363–800 दिनांक 09.09.2021 के द्वारा जिला स्तर से जारी की गई विज्ञप्ति से सम्बन्धित पदो जिसमें ग्राम सभा/गठित समिति स्तर पर चयन कार्यवाही पूर्ण नहीं की गई है को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाकर पुनः नवीन परिपत्र दिनांक 19.08.2021 के अनुसार चयन के निर्देश दिए गये है। नवीन परिपत्र के अनुसार सभापति महोदय की अध्यक्षता में चयन किये जाने का प्रावधान किया गया। इस कारण आवेदनों पर विचार नहीं किया गया। बाल विकास परियोजना अधिकारी अनूपगढ के द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों को जिला स्तरीय चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये। साथ ही इससे पूर्व विज्ञप्ति आरक्षित वर्ग विवादित होने के कारण निरस्त की गई थी। अपीलार्थी श्रीमती राम देवी पत्नी श्री भानूराम जाति बांवरी निवासी वार्ड नम्बर 05 कार्यकर्ता पद हेतु पात्रता रखती है। विभाग की किसी चहेते को चयनित करने की मंशा नहीं है इस कारण तत्काल निरस्त की गई विज्ञप्ति पुनः प्रकाशित की गई थी। अपीलकर्ता के दस्तावेजो के अनुसार अनुसूचित जाति की महिला है एवं एम.ए. पढी लिखी है। अतः श्रीमती रामदेवी पत्नी भानूराम वरीयता में प्रथम स्थान पर रहने के कारण कार्यकर्ता के पद पर पात्रता रखती है।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलार्थीया ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीया ने आंगनबाडी केन्द्र वार्ड नम्बर 05 श्रीविजयनगर में कार्यकर्ता के पद हेतु आवेदन किया था। बाल विकास परियोजना अधिकारी अनूपगढ ने उप निदेशक समेकित बाल विकास सेवाए श्रीगंगानगर के पत्र कमांकः–आ.बा./स्था./2021/1159 दिनांक 19.08.2021 से जारी विज्ञप्ति संख्या 03 की पालना में प्रार्थीया द्वारा आवेदन किया गया था। बाल विकास परियोजना अधिकारी अनूपगढ के

द्वारा मेरे आवेदन को उप निदेशक समेकित बाल विकास सेवाएं श्रीगंगानगर को नहीं भेजे गये जिस कारण से विज्ञप्ति संख्या 3 दिनांक 09.09.2021 के आदेश की पालना में निरस्त की जा रही है। शहरी चयन समिति अनूपगढ द्वारा प्रार्थीया के आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया गया। प्रार्थीया को सुनवाई का अवसर दिये बिना द्वेषभाव से विधि विरूद्व, नियमों विरूद्व तथा प्रार्थीया के दस्तावेजों को दरकिनार करते हुए प्रार्थीया का चयन नहीं किया गया जबकि प्रार्थीया का चयन होना था। ऐसा पहली बार नहीं हुंआ है इससे पूर्व भी विज्ञप्ति संख्या 02/2021 को भी निरस्त किया गया था। प्रार्थीया के अंक सबसे अधिक थे इसके बावजूद भी प्रार्थीया का चयन नहीं किया गया इससे स्पष्ट होता है कि शहरी चयन समिति द्वारा वार्ड नम्बर 05 में कार्यकर्ता का पद खाली रखना इनकी मंशा है ताकि बाद में अपने किसी चहेते का चयन कर सकें। प्रार्थीया अनुसूचित जाति की महिला है तथा कक्षा एम.ए. , बी.एड तक पढ़ी लिखी है तथा प्रार्थीया गरीबी रेखा से निचे जीवन यापन कर रही है तथा बीपीएल है। अतः अपील स्वीकार कर जारी विज्ञप्ति संख्या 03 अनुसार प्रार्थीया का चयन किया जावें।

विभागीय प्रतिनिधि ने अपनी बहस में जबाब के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि आंगनबाडी केन्द्र वार्ड नम्बर 05 श्रीविजयनगर में आंगनबाड़ी सहायिका श्रीमती वर्षा कार्यरत है। इस कार्यालय के विज्ञप्ति क्रमांक 651 दिनांक 05.07.2021 के द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्र वार्ड नम्बर 05 श्रीविजयनगर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की विज्ञप्ति जारी की गई थी। शिकायतकर्ता के द्वारा आरक्षित वर्ग की शिकायत करने पर इस कार्यालय के पत्रांक 909 दिनांक 23.07.2021 के द्वारा उक्त विज्ञप्ति निरस्त कर जांच हेतु निर्देश दे दिये गये थे। बाल विकास परियोजना अधिकारी अनूपगढ की जांच टीम के अनुसार आरक्षित वर्ग अनुसूचित जाति का ही आरक्षित हुआ। अपीलकर्ता श्रीमती रामदेवी वार्ड नम्बर 05 के द्वारा पुनः प्रार्थना पत्र देकर अवगत करवाया गया कि यह जानबूझ कर विज्ञप्ति निरस्त करवाई गई है ताकि किसी व्यक्तिगत महिला को लाभ दिया जा सकें। साथ ही निवेदन किया गया कि उक्त विज्ञप्ति पुनः प्रकाशित की जावें। अतः कोई पात्र आवेदन उक्त भर्ती हेतु वंचित नहीं रहे। इस कारण पुनः इस कार्यालय के पत्रांक 1159 दिनांक 19.08.2021 के द्वारा विज्ञप्तिं जारी की गई और अन्तिम तिथि 03 सितम्बर 2021 रखी गई। बाल विकास परियोजना अधिकारी अनूपगढ के अनुसार उक्त अन्तिम तिथि तक 03 आवेदन प्राप्त हुए। उक्त वरियता सूची अनुसार श्रीमती रामदेवी पत्नी भानूराम निवासी वार्ड नम्बर 05 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता क्रमांक 120363-800 दिनांक 09.09. 2021 के द्वारा जिला स्तर से जारी की गई विज्ञप्ति से सम्बन्धित पदों जिसमें ग्राम सभा/गठित समिति स्तर पर चयन कार्यवाही पूण्र नहीं की गई है को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाकर पुनः नवीन परिपत्र दिनांक 19.08.2021 के अनुसार चयन के निर्देश दिए गए है। निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं जयपुर के आदेश क्रमांक 120363-800 दिनांक 09.09.2021 के द्वारा जिला स्तर से जारी की गई विज्ञप्ति से सम्बन्धित पदो जिसमें ग्राम सभा/गठित समिति स्तर पर चयन कार्यवाही पूर्ण नहीं की गई है को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाकर पुनः नवीन परिपत्र दिनांक 19.08.2021 के अनुसार चयन के निर्देश दिए गये है। नवीन परिपत्र के अनुसार सभापति महोदय की अध्यक्षता में चयन किये जाने का प्रावधान किया गया। इस कारण आवेदनों पर विचार नहीं किया गया। बाल विकास परियोजना अधिकारी अनूपगढ के द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों को जिला स्तरीय चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये। साथ ही इससे पूर्व विज्ञप्ति आरक्षित वर्ग विवादित होने के कारण निरस्त की गई थी। अपीलार्थी श्रीमती राम देवी पत्नी श्री भानूराम जाति

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशा

बांवरी निवासी वार्ड नम्बर 05 कार्यकर्ता पद हेतु पात्रता रखती है। विभाग की किसी चहेते को चयनित करने की मंशा नहीं है इस कारण तत्काल निरस्त की गई विज्ञप्ति पुनः प्रकाशित की गई थी। अपीलकर्ता के दस्तावेजो के अनुसार अनुसूचित जाति की महिला है एवं एम.ए. पढी लिखी है। अतः श्रीमती रामदेवी पत्नी भानूराम वरीयता में प्रथम स्थान पर रहने के कारण कार्यकर्ता के पद पर पात्रता रखती है।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया गया तो पाया कि कार्यालय के पत्रांक 1159 दिनांक 19.08.2021 के द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई और अन्तिम तिथि 03 सितम्बर 2021 रखी गई। बाल विकास परियोजना अधिकारी अनूपगढ के अनुसार उक्त अन्तिम तिथि तक 03 आवेदन प्राप्त हुए। वरियता सूची अनुसार श्रीमती रामदेवी पत्नी भानूराम निवासी वार्ड नम्बर 05 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कमांक 120363–800 दिनांक 09.09.2021 के द्वारा जिला स्तर से जारी की गई विज्ञप्ति से सम्बन्धित पदों जिसमें ग्राम सभा/गठित समिति स्तर पर चयन कार्यवाही पूर्ण नहीं की गई है को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाकर पुनः नवीन परिपत्र दिनांक 19.08.2021 के अनुसार चयन के निर्देश दिए गए है। निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं जयपुर के आदेश कमांक 120363–800 दिनांक 09.09.2021 के द्वारा जिला स्तर से जारी की गई विज्ञप्ति से सम्बन्धित पदो जिसमें ग्राम सभा/गठित समिति स्तर पर चयन कार्यवाही पूर्ण नहीं की गई है को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाकर पुनः नवीन परिपत्र दिनांक 19.08.2021 के अनुसार चयन के निर्देश दिए गये है। नवीन परिपत्र के अनुसार सभापति महोदय की अध्यक्षता में चयन किये जाने का प्रावधान किया गया। इस कारण आवेदनों पर विचार नहीं किया गया, साथ ही इससे पूर्व विज्ञप्ति आरक्षित वर्ग विवादित होने के कारण निरस्त की गई थी। विभाग द्वारा परिपत्र दिनांक 19.08.2021 को जारी कर जिन विज्ञप्तियों के द्वारा चयन नहीं किया गया को निरस्त करने के आदेश प्राप्त होने से अपीलार्थीया का चयन किया जाना न्यायसंगत नहीं है। फलस्वरूप अपीलार्थिया की अपील विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 19.08.2021 की पालना में रिमाण्ड की जाकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त अपीलकर्ता के प्रकरण को नवीन परिपत्र दिनांक 19.08.2021 में वर्णित कमेटी के समक्ष रखा जाकर प्रकरण का निस्तारण करवाया जावें। आदेश की प्रति उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास परियोजना विभाग, श्री गंगानगर एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी अनूपगढ को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं रिकॉर्ड लौटाया जावें।

आदेश आज दिनांक 27.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(भवानी सिंह पंवार)
अति0 जिला कलक्टर
(प्रशासन),श्रीगंगानगर।